

भाग 'क'
राजस्व क्षेत्र

अध्याय-I

राजस्व क्षेत्र

अध्याय - I

राजस्व क्षेत्र

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1.1 वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा उत्थित कर एवं गैर-कर राजस्व और वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं पिछले चार वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े तालिका 1.1 में नीचे दर्शाये गए हैं।

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व					
	कर राजस्व	23,431.52	25,918.69	26,603.90	30,225.16	31,139.89
	गैर-कर राजस्व	626.93	659.14	632.55	515.40	380.69
	योग	24,058.45	26,577.83	27,236.45	30,740.56	31,520.58
2	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	सहायता अनुदान	1,502.52	1,402.86	2,348.14	4,258.29	2,825.16
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 तथा 2)	25,560.97	27,980.69	29,584.59	34,998.85	34,345.74
4	1 से 3 तक की प्रतिशतता	94	95	92	88	92

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा वसूल किया गया राजस्व (₹ 31,520.58 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 92 प्रतिशत था। 2016-17 के दौरान शेष आठ प्रतिशत प्राप्तियाँ भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान थी।

1.1.1.2 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान उत्थित कर राजस्व का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: उत्थित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2015-16 की अपेक्षा 2016-17 में वास्तविक वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
		ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	
1	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	16,500.00	15,803.68	18,200.00	17,925.71	19,000.00	18,289.31	21,000.00	20,245.82	22,000.00	21,144.24	4.44
2	राज्य उत्पाद शुल्क	3,000.00	2,869.74	3,200.00	3,151.63	3,550.00	3,422.39	4,500.00	4,237.69	4,700.00	4,251.40	0.32
3	स्टॉम्प ड्यूटी	3,799.97	3,098.06	3,799.98	2,969.07	2,938.15	2,779.88	3,449.98	3,433.60	3,098.00	3,143.93	-8.44
4	मोटर वाहनों पर कर	1,370.00	1,240.18	1,400.00	1,409.27	1,600.00	1,558.83	1,700.00	1,607.01	1,750.00	1,808.78	12.56
5	माल व सेवाओं पर अन्य कर व ड्यूटी	487.00	419.84	475.00	463.00	520.00	491.70	720.00	700.53	880.00	789.53	12.70
6	भू-राजस्व	0.03	0.01	0.02	0.01	61.85	61.79	0.02	0.51	2.00	2.01	294.12
	कुल	25,157.00	23,431.51	27,075.00	25,918.69	27,670.00	26,603.90	31,370.00	30,225.16	32,430.00	31,139.89	

स्रोत: वित्त लेखे

यह देखा गया है कि राज्य की वास्तविक कर प्राप्ति एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है जो वर्ष 2012-13 में ₹ 23,431.51 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 31,139.89 करोड़ है। वर्ष 2016-17 के लिए 'मोटर वाहन कर' और 'बिक्री एवं व्यापार कर' आदि शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में क्रमशः 12.56 प्रतिशत और 4.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 'स्टाम्प ड्यूटी' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की अपेक्षा 8.44 प्रतिशत से घटकर ₹ 3,433.60 करोड़ से ₹ 3,143.93 करोड़ हो गई।

विभाग द्वारा राजस्व में वृद्धि/कमी के लिए कोई कारण प्रदान नहीं किया गया।

1.1.1.3 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान उत्थित गैर-कर राजस्व का विवरण तालिका 1.3 में दिखाया है:

तालिका 1.3: उत्थित गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2015-16 की अपेक्षा 2016-17 में वास्तविक वृद्धि(+) अथवा कमी(-) की प्रतिशतता
		ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	
1	ब्याज प्राप्तियाँ	473.54	340.03	754.50	379.35	604.00	350.52	173.16	82.53	120.00	81.39	-1.38
2	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	44.24	54.32	65.00	63.05	73.00	58.20	129.23	125.88	82.10	60.13	-52.23
3	लोक निर्माण	23.10	25.55	20.00	18.59	17.50	14.74	19.00	18.47	18.00	22.23	20.36
4	पावर	14.00	9.93	22.01	18.46	24.01	16.38	32.01	42.06	25.00	21.40	-49.12
5	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	91.00	95.60	115.00	91.04	112.17	98.91	106.18	89.43	122.71	111.33	24.49
6	अन्य ¹ गैर-कर प्राप्तियाँ	123.66	101.50	111.42	88.65	133.32	93.79	109.42	157.03	88.19	84.21	-46.37
	कुल	769.54	626.93	1087.93	659.14	964.00	632.54	569.00	515.40	456.00	380.69	

स्रोत: वित्त लेखे

ऊपर से यह स्पष्ट है कि राज्य की गैर-कर प्राप्ति वर्ष 2012-13 में ₹ 626.93 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 में ₹ 380.69 करोड़ की घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शा रही है। वर्ष 2016-17 के लिए 'चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य' एवं 'पावर' शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 52.23 प्रतिशत और 49.12 प्रतिशत की कमी हुई जबकि 'अन्य प्रशासनिक' सेवाओं शीर्ष के अंतर्गत 24.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

¹ अंश तथा लाभ, लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, शिक्षा, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, अलौह खनन तथा धातु उद्योग, पर्यटन, सिविल आपूर्तियाँ, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ, हाउसिंग आदि।

वर्ष 2016-17 के लिए 'नागरिक आपूर्ति', 'लोक सेवा आयोग' तथा 'जेल शीर्षों' के अन्तर्गत पिछले वर्ष की अपेक्षा प्राप्तियाँ क्रमशः 98.58 प्रतिशत, 97.50 प्रतिशत तथा 70.35 प्रतिशत कम हुईं।

सरकार ने बताया कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 'ब्याज प्राप्तियाँ' शीर्ष के अन्तर्गत गैर कर प्राप्तियों में कमी, ऋणों के ब्याज के कारण स्थानीय निकायों से कम संग्रहण के कारण थी जबकि 2016-17 में 'चिकित्सा' तथा 'जन स्वास्थ्य', 'पावर' तथा अन्य 'गैर कर प्राप्तियों' के कम संग्रहण के कारण थी। सरकार को शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों में उल्लेखनीय कमी पर पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए विश्लेषण करना चाहिए।

1.1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तक ₹ 26,958.44 करोड़ राशि का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 10,043.20 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी जैसा कि तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2017 तक पाँच वर्षों से अधिक समय की बकाया राशि	टिप्पणी
1.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	7,069.14	7,069.14	राशि दिल्ली बिक्री कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर व्यवस्था से संबंधित है (डीएसटी तथा सीएसटी)
2.	मूल्य वर्धित कर	19,626.00*	2,971.00	डीवैट व्यवस्था
3.	राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर	263.30	3.06	संशोधित लाइसेंस शुल्क, अदालती मामले
कुल		26,958.44	10,043.20	

स्त्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता विभाग

* जुर्माने के रूप में शामिल ₹ 9,278 करोड़

डीएसटी तथा सीएसटी व्यवस्था से संबंधित ₹ 7,069.14 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय के लिए वसूली हेतु बकाया है अर्थात् विभाग ने इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। वैट की बकाया राशि 31 मार्च 2016 को ₹ 17,175.75 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2017 को ₹ 19,626.00 करोड़ हो गई। विभाग ने बताया कि करदाताओं को आपत्ति/अपील को फाइल करने के लिए विभिन्न मार्ग उपलब्ध हैं जो मुकदमों को बड़े पैमाने पर और आगे ले जाते हैं। विभाग को इन बकायों को वसूल

करने के लिये प्रभावी कदम उठाने और रोडमैप तैयार करने, संवीक्षा और विश्लेषण करना चाहिए जो वेट से उनके वार्षिक राजस्व को और अधिक बढ़ाये।

1.1.3 कर निर्धारण में बकाया

व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी) और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग द्वारा वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु लंबित होने वाले मामलों, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या का विवरण तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: कर निर्धारण में लंबित

राजस्व शीर्ष	प्रारंभिक शेष	2016-17 के दौरान निर्धारण हेतु लंबित नए मामले	कुल निर्धारण लंबित	2016-17 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष मामले	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	शून्य	2,29,097	2,29,097	2,29,097	0	100
राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर	1,841	674	2,515	1,291	1,224	51.33

स्रोत: व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग

निर्धारण मामलों के निपटान की प्रतिशतता राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग के संबंध में 51.33 प्रतिशत थी, जबकि डीटीटी के संबंध में कोई निर्धारण लंबित नहीं था।

1.1.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

2016-17 के दौरान, प्रवर्तन शाखा (डीटीटी) ने खोज के आधार पर 154 मामलों का पता लगाया तथा ₹ 15.74 करोड़ की माँग उत्थित की, जोकि प्राप्त कर ली गई।

1.1.5 कर वापसी के लंबित मामलों का विवरण

विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के प्रारंभ में लंबित कर वापसी के मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावों, वर्ष के दौरान अनुमत वापसियों तथा 2016-17 के अंत में लंबित मामलों की संख्या जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया है, को तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: कर वापसी मामलों के लंबन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		मनोरंजन कर		स्टॉम्प एवं पंजीकरण		परिवहन	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	93,410	2,623.57	111	7.81	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	16,345	851.26	140	2.09	650	24.32	38	0.13
3	कुल दावे	1,09,755	3,474.83	251	9.90	650	24.32	38	0.13
4	वर्ष के दौरान की गई कर वापसियाँ	26,197	827.18	35	1.65	393	12.90	38	0.13
5	कुल दावे से वापसियों की प्रतिशतता	23.87	23.80	13.94	16.67	60.46	53.04	100	100
6	वर्ष के अंत में लंबित शेष	83,558	2,647.65	216	8.25	257	11.42	शून्य	शून्य

यदि अधिक प्राप्त राशि आदेश की तिथि से 60 दिनों के अंदर व्यापारियों को वापस नहीं की जाती है तो दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम (डीवैट एक्ट) की धारा 42 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक दर पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। निर्धारित अवधि के अन्दर दावों की वापसियाँ न करने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। हालाँकि विभाग द्वारा वापसी पर ब्याज के भुगतान की जानकारी यह कहते हुए नहीं दी गई कि इस प्रकार के किसी भी डाटा का अनुरक्षण नहीं किया गया।

1.1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली (ए.जी.) नियमों तथा प्रक्रियाओं में जैसा निर्धारित है, के अनुसार लेन-देनों की नमूना जाँच तथा लेखों व अन्य अभिलेखों के रख-रखाव को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं तथा जिन मामलों का निपटान मौके पर न हो सका, उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) में शामिल करके शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए अगले उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियों के साथ निरीक्षित कार्यालय के अध्यक्षों को जारी किया जाता है तथा इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदन के जरिए अनुसरण होता है। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से नि.प्र. में दर्शायी गई अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना, त्रुटियों एवं गलतियों को सुधारना तथा नि.प्र. की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर ए.जी. को अनुपालना भेजना

अपेक्षित होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भेजा जाता है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी की गई नि.प्र. की संक्षिप्त स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों एवं 31 मार्च 2017 तक उनकी स्थिति तालिका-1.7 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.7: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के अंत में शेष		
		नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्र.	पैराग्राफ	धनराशि
1.	2007-08	223	2,582	1,030.98	62	1329	1,077.42	79	1,266	349.89	206	2,645	1,758.51
2.	2008-09	206	2,645	1,758.51	89	2265	1,748.24	6	429	413.39	289	4,481	3,093.36
3.	2009-10	289	4,481	3,093.36	108	2972	2,900.71	11	301	218.47	386	7,152	5,775.60
4.	2010-11	386	7,152	5,775.60	54	2009	1,831.89	85	564	434.09	355	8,597	7,173.40
5.	2011-12	355	8,597	7,173.40	96	2204	3,079.27	24	657	394.02	427	10,144	9,858.65
6.	2012-13	427	10,144	9,858.65	104	1610	1,209.64	62	520	571.99	469	11,234	10,496.31
7.	2013-14	469	11,234	10,496.31	92	790	1,099.45	3	83	-	558	11,941	11,595.76
8.	2014-15	558	11,941	11,595.76	76	506	159.57	15	159	7.40	619	12,288	11,747.93
9.	2015-16	619	12,288	11,747.93	80	458	52.23	09	129	4.12	690	12,617	11,796.04
10.	2016-17	690	12,617	11,796.04	111	650	169.04	11	357	484.30	790	12,910	11,480.78

वर्ष 2007-08 में ₹ 1,030.98 करोड़ की राशि को शामिल करते हुए 2,582 पैराग्राफ लंबित थे परन्तु वर्ष 2016-17 के अंत में ₹ 11,480.78 करोड़ की धनराशि को शामिल करते हुए लंबित पैराग्राफों की संख्या बढ़कर 12,910 हो गई जिससे यह संकेतित होता है कि विभाग ने बकाया पैराग्राफों को निपटाने हेतु कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया।

1.1.6.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार द्वारा नि.प्र. में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति को तीव्र करने एवं निगरानी हेतु लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया जाता है। मार्च 2017 में व्यापार एवं कर विभाग द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में, अपर आयुक्त को बकाया पैरों के जल्दी निपटान के लिए उनके उत्तर प्रदान करने के लिए कहा। अपर आयुक्त ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हालाँकि, परिवहन, राज्य उत्पाद शुल्क और राजस्व विभागों द्वारा कोई भी लेखापरीक्षा समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

1.1.6.2 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

कर राजस्व कार्यालयों के स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से पहले ही बना लिया जाता है तथा सामान्यतः लेखापरीक्षा आरंभ करने से एक

माह पूर्व विभागों को सूचनाएँ जारी कर दी जाती हैं, जिससे विभाग लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु संबंधित अभिलेखों को तैयार रखने में सक्षम हो सके।

डीटीटी ने वर्ष 2016-17 के दौरान माँगी गई 11,053 फाइलों/मामलों में से 9,822 निर्धारण फाइलें/मामले (89 प्रतिशत), लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई परिणामस्वरूप इन मामलों में शामिल राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.1.6.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) निर्धारित करती है कि राज्य विधान सभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर कार्रवाई प्रारंभ करें तथा उन पर एकशन टेकन नोट्स (एटीएन) रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के तीन महीने के अंदर सरकार द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाए। हालाँकि, प्रतिवेदनों पर ए.टी.एन. में हुई देरी के संदर्भ में 31 मार्च 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2016 को समाप्त वर्षों हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल 25 पैराग्राफों तथा तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पी.ए.) को राज्य विधान सभा के समक्ष मार्च 2013 से जून 2017 के बीच प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से प्रत्येक के संबंध में एटीएन छः माह की औसत देरी से प्राप्त हुए। 31 मार्च 2012, 2013, 2014, 2015 तथा 2016 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में 12 पैराग्राफों तथा दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पी.ए.) से संबंधित एटीएन विभाग से प्राप्त नहीं हुए जैसा कि तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: पैराग्राफ, निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा एटीएन का विवरण

क्र.सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	प्रतिवेदन में छपे पैराग्राफ एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या	पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिसके लिए एटीएन प्रतीक्षित थे
1	2012	16+1 (पी.ए.)	3+0(पी.ए.)
2	2013	2+1 (पी.ए.)	2+1(पी.ए.)
3	2014	3+0 (पी.ए.)	3+0(पी.ए.)
4	2015	0+1 (पी.ए.)	0+1 (पी.ए.)
5	2016	4+0 (पी.ए.)	4+0 (पी.ए.)
	कुल	25+3 (पी.ए.)	12+2 (पी.ए.)

लोक लेखा समिति ने 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) से संबंधित पैराग्राफों/पी.ए. पर चर्चा नहीं की।

1.1.7 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों की स्थिति, विभागों द्वारा स्वीकृत पैराग्राफ तथा वसूल की गई धनराशि को तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: शामिल, स्वीकृत तथा वसूल की गई राशि के पैराग्राफों की स्थिति
(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों की धनराशि	स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वर्ष 2016-17 के दौरान वसूली गई राशि	31 मार्च 2017 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति	वसूली की प्रतिशतता
2006-07	16	254.93	13	209.06	-	0.27	0.13
2007-08	11	945.52	7	28.17	-	0.18	0.64
2008-09	15	1,729.62	7	109.00	-	0.14	0.13
2009-10	18	1,764.20	5	49.36	-	0.39	0.79
2010-11	15	1,479.98	4	58.00	-	0.06	0.10
2011-12	17	2,363.11	1	19.14	-	1.23	6.43
2012-13	3	536.00	3	70.16	-	00	0.00
2013-14	3	98.39	3	20.83	-	00	0.00
2014-15	1	1.34	1	1.34	-	0.02	1.49
2015-16	4	122.13	4	7.02	0.01	0.01	0.14
कुल	103	9,295.22	48	572.08	0.01	2.30	0.40

यह देखा गया है कि वसूली की प्रगति, यहाँ तक की स्वीकृत मामलों में भी नगण्य थी। वर्ष 2006-07 से 2015-16 के प्रतिवेदनों में ₹ 9,295.22 करोड़ राशि की लेखा परीक्षा आपत्तियाँ शामिल थी, जिसमें से ₹ 572.08 करोड़ की धनराशि से संबंधित अभ्युक्तियों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। हालाँकि केवल ₹ 2.30 करोड़ (0.40 प्रतिशत) की राशि विभाग द्वारा वसूल की गई।

विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों में बकाया राशि की वसूली के अनुसरण तथा निगरानी हेतु शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

1.1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा की पिछली प्रवृत्तियों, अभ्युक्तियों तथा अन्य परिमाणों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाईयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसे बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य तथा केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशों, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के कारकों, लेखापरीक्षा

कार्यक्षेत्र तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव पर प्रकाश डाले गए मामलों पर ध्यान दिया जाता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, लेखापरीक्षा योग्य 153 इकाईयाँ थीं, जिनमें से 80 इकाईयाँ नियोजित एवं लेखापरीक्षित थीं तथा आठ इकाईयाँ को कार्य दिवसों की उपलब्धता के कारण अतिरिक्त रूप से लेखापरीक्षा के लिए शामिल किया गया।

1.1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.1.9.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2016-17 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन तथा राजस्व विभाग की 88 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 650 पैराग्राफों में शामिल ₹ 416.94 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया जैसा कि तालिका 1.10 में श्रेणीबद्ध किया गया है।

तालिका 1.10: श्रेणीवार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

क्र.सं.	श्रेणियाँ	पैराओं की संख्या/मामले	राशि (₹ करोड़ में)
बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर			
1	सांविधिक फॉर्मों को जारी करना	1	248.08
2	व्यापारियों द्वारा कर की रियायती दरों के अनियमित दावे के कारण राजस्व की हानि	1	0.53
3	इनपुट कर-जमा का अनियमित दावा	3	0.48
4	मॉग की गैर वसूली तथा परिणामस्वरूप ब्याज की हानि	3	3.90
5	कर का भुगतान न करने के कारण राजस्व की हानि	1	0.26
6	फॉर्म 'सी' के ब्यौरे को जमा न करने के कारण कर की रियायती दर की अतिरिक्त अनुमति	1	1.01
7	अन्य अनियमितताएँ	337	156.09
योग		347	410.35
मोटर वाहन कर			
1	सरकारी खातों में प्राप्तियाँ जमा करने में विलम्ब होने के कारण ब्याज की हानि	1	0.20
2	विविध अनियमितताएँ	119	0.98
योग		120	1.18
स्टॉम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क तथा राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर			
1	अन्य अनियमितताएँ	183	5.41
योग		183	5.41
कुल योग		650	416.94

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹ 416.94 करोड़ के कम/गैर राजस्व उद्ग्रहण के मामलों को इंगित किया उनमें से संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों की ₹ 7.04 करोड़ की राशि को स्वीकार किया।

1.1.10 राजस्व अध्याय का कवरेज

राजस्व क्षेत्र के इस अध्याय में छः पैराग्राफ हैं जिसमें ₹ 6.38 करोड़ के वित्तीय प्रभाव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सांविधिक फॉर्मों को जारी करने की प्रणाली का विश्लेषण भी हुआ तथा यह पाया कि ₹ 248.08 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 1,892.78 करोड़ के मूल्य के सांविधिक फॉर्म जारी करने में अनियमितता थी। विभाग ने ₹ 7.04 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की। इनकी चर्चा उत्तरवर्ती पैराग्राफों में की गई है। पैराग्राफ सरकार को भेजे गए, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

व्यापार एवं कर विभाग

1.2 सांविधिक फार्मों को जारी करना

सांविधिक फार्मों को जारी करने पर वाई अधिकारियों की उपयुक्त तत्परता और निगरानी अपर्याप्त थी साथ ही यह डीवैट सिस्टम में प्रकट कमियों का पता लगाने/मजबूत करने में असफल था। परिणामस्वरूप ₹ 1,892.78 करोड़ के सांविधिक फार्मों को जारी करना अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में ₹ 248.08 करोड़ के कर/जुर्माने के उदग्रहण की भी चूक हुई।

1.2.1 प्रस्तावना

1.2.1.1 व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी), रा.रा.क्षे.दि.स. को मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004, केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 और उनके अधीन बनाये नियमों को लागू करने के लिए सौंपा गया है। पंजीकृत व्यापारियों के बीच अंतर्राज्यीय वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए सीएसटी अधिनियम, अंतर्राज्यीय वाणिज्य और व्यापार करने में विभिन्न राज्यों के साथ व्यापारियों द्वारा किये लेनदेनों के प्रति कर की दरों में रियायत या कर से छूट का प्रावधान करता है। कर की ऐसी रियायतों और छूट का उपयोग करने के लिए क्रय व्यापारियों को संबंधित राज्य के वैट/वाणिज्य कर विभाग द्वारा, जहां वे पंजीकृत हैं, विभिन्न प्रकार के सांविधिक फॉर्म² जारी किए जाते हैं। विक्रय करने वाले व्यापारी ऐसे सांविधिक फॉर्म को प्रस्तुत करके कर की दरों में रियायत या कर छूट के भुगतान का दावा कर सकते हैं। डीटीटी द्वारा 2013-14 से 2015-16 के दौरान जारी 'सी' और 'एफ' सांविधिक फार्मों की कुल राशि इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	फॉर्म 'सी'		फॉर्म 'एफ'	
	जारी फार्मों की संख्या	राशि	जारी फार्मों की संख्या	राशि
2013-14	6,24,264	1,14,513.91	1,54,131	1,39,629.77
2014-15	6,15,918	1,22,204.01	1,40,029	1,42,819.41
2015-16	5,80,429	1,26,596.75	1,21,173	1,34,775.94

1.2.1.2 डीटीटी द्वारा जारी सांविधिक फार्मों के मुख्य प्रकार हैं:

(i) **फॉर्म 'सी'** - एक पंजीकृत व्यापारी जो किसी अन्य राज्य में पंजीकृत दूसरे व्यापारी से माल खरीदता है तो वह विक्रय करने वाले व्यापारी को फॉर्म

² सी-अन्तर्राज्यीय बिक्री में उपयोग किए गए रियायती फॉर्म, एफ-अन्य राज्यों में अपने शाखा/एजेन्ट को माल के हस्तांतरण हेतु प्रयुक्त फॉर्म, ई- I/II पारगमन बिक्री हेतु प्रयुक्त फॉर्म, एच-माल के निर्यात में प्रयुक्त फॉर्म

‘सी’ जारी करेगा। विक्रय करने वाला व्यापारी बेचे गये माल के मूल्य पर दो प्रतिशत की रियायती दर से सीएसटी देता है तथा सीएसटी के तहत बिक्री के प्रमाण के रूप में फॉर्म ‘सी’ अपने निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करता है और ऐसी बिक्री के लिए कर की रियायती दर का भुगतान करता है।

(ii) **फॉर्म ‘एफ’** - एक पंजीकृत व्यापारी दूसरे राज्य में विक्रय की जगह व्यापार हेतु अपना माल राज्य से बाहर या अपने एजेंट या दूसरे राज्य में प्रमुख को भेजता है, उसे फॉर्म ‘एफ’ में घोषणा प्रस्तुत करने पर कर के भुगतान में छूट मिलती है। भेजने वाला व्यापारी विभाग को फॉर्म ‘एफ’ जमा करके सीएसटी से कर छूट का दावा कर सकता है।

1.2.1.3 लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य सांविधिक फार्मों को जारी करने के लिए डीटीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित अधिनियमों, नियमों और निर्देशों के अनुपालन का निर्धारण करना था। लेखापरीक्षा ने उन मामलों की जो 2013-14 से 2015-16 के दौरान निर्धारित किये गये और/अथवा सांविधिक फॉर्म (‘सी’ और ‘एफ’) जारी किए गए का नमूना जांच की। हमने डीवैट सिस्टम में उपलब्ध चयनित निर्धारित के आंकड़ों और केस फाइलों की समीक्षा की। यह लेखापरीक्षा अप्रैल-जुलाई 2017 के दौरान की गई तथा हमारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सितम्बर 2017 में प्राप्त डीटीटी के उत्तर उपयुक्त रूप से समाविष्ट कर लिये गये हैं।

लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ

1.2.2 पिछली माँगों की वसूली सुनिश्चित किए बिना फार्मों को जारी करना

सीएसटी (दिल्ली) नियमावली, 2005 का नियम 5(4) यह निर्धारित करता है कि सांविधिक फार्मों को जारी करने का आवेदन करते हुए यदि आवेदनकर्ता (क्रय व्यापारी) आयुक्त द्वारा डीवैट अधिनियम या सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित, पुनः निर्धारित कर या लगाये गये जुर्माने के भुगतान में चूक करता है और जिसके संबंध में विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से किशत/रोक के कोई आदेश प्राप्त नहीं किये गये, आयुक्त ऐसे आवेदनकर्ता को सुनने का मौका देने के बाद घोषणा फॉर्म जारी होने से रोक सकेगा और यह दिनांक 28 अगस्त 2012 को जारी जापन में दोहराया गया है।

डीवैट सिस्टम में उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण और जांच से पता चला कि 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 5 लाख और ₹ 10 लाख के बीच की माँग 514 मामलों के निर्धारण के आधार पर उत्थित की गई। सिस्टम में इन माँगों को भुगतान किया हुआ दिखाया गया और उसके बाद व्यापारी को फॉर्म

जारी किये गये। हमने 514 में से 120 मामलों की नमूना-जांच की और पाया कि 10 मामलों में ₹ 211.73 करोड़ (अनुलग्नक 1.2.1) के 60 फॉर्म डीटीटी द्वारा व्यापारियों को जारी किए इस तथ्य के बावजूद कि ₹ 66.86 लाख की माँग 31 दिसंबर 2016 तक लंबित थी, परन्तु सिस्टम में 'भुगतान हुआ' के रूप में गलत ढंग से दिखाया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि व्यापारियों द्वारा भुगतान की तिथि माँग-नोटिस की तिथि से पहले की है जोकि संभव नहीं है। इसका मतलब है कि यह सम्भावना हो सकती थी कि फॉर्म जारी करने हेतु सक्षम बनाने के लिए यह किया गया और गलत काम करने की जवाबदेही को लागू करने के लिए इसकी जांच होनी चाहिए। इस प्रकार विगत माँग की वसूली सुनिश्चित किए बिना चूककर्ता व्यापारियों को ₹ 211.73 करोड़ के फॉर्म जारी किए गए जोकि सीएसटी (दिल्ली) नियमावली, 2005 के नियम 5(4) का उल्लंघन था।

डीटीटी ने कहा (सितंबर 2017) कि संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों (एए) और सिस्टम शाखा को अभ्युक्तियों का ध्यान रखने और लंबित माँगों की वसूली के साथ वैध मांगें सृजित करने के लिए डीलरों के निर्धारण/पुनः निर्धारण करने के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सिस्टम शाखा को इस मामले में जाँच करने और डीवैट सिस्टम को सुदृढ़ करने का निर्देश भी दिया गया है। तथापि, सिस्टम शाखा का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है कि इसे कैसे मुख्य रूप से 'भुगतान हुआ' के रूप में दिखाया गया।

1.2.3 घोषित क्रय राशि से अधिक सांविधिक फॉर्म को जारी करना

सीएसटी (दिल्ली) नियमावली, 2005 के नियम 5, 7 और 8 निर्धारित करते हैं कि आयुक्त द्वारा क्रय व्यापारी को उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये माँगपत्र के आधार पर सांविधिक फॉर्म जारी किए जाएंगे। डीटीटी ने अगस्त 2012 में वर्ष 2012-13 के लिए व्यापारियों को फॉर्म जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को आरंभ किया। 28 अगस्त 2012 के परिपत्र के अनुसार खरीद के संबंध में अनुलग्नक 2ए³ में दर्ज आंकड़ों के आधार पर फार्मों को जारी किया जाएगा।

सिस्टम पर 86 मामलों (जहां प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक के सांविधिक फॉर्म जारी किए) की जांच में पाया गया कि दो मामलों में ₹ 43.39 करोड़ के सांविधिक फॉर्म उन व्यापारियों को जारी किए थे जिनका पंजीकरण पहले ही रद्द हो गया था, जबकि उनके रिटर्न के अनुसार केवल

³ अनुलग्नक 2ए आवधिक रिटर्न का हिस्सा है जिसमें व्यापारी द्वारा एक विशेष कर अवधि में किये गये क्रय (स्थानीय के साथ अन्तर्राज्यीय) के सभी विवरण शामिल होते हैं।

₹ 2.98 करोड़ की वस्तुएँ खरीदी थी। इस प्रकार ये व्यापारी ₹ 40.41 करोड़ के अधिक सांविधिक फॉर्म डाउनलोड करने में कामयाब रहे (अनुलग्नक 1.2.2) जिसके परिणामस्वरूप डीटीटी को (डीवैट अधिनियम की धारा 23 के तहत) ₹ 1.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त इस माल की अवैध बिक्री की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जिन व्यापारियों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है, उनको सांविधिक फॉर्म जारी करने के ऑनलाइन सिस्टम के अंतर्गत घोषित क्रय राशि से ज्यादा रकम के फॉर्म डाउनलोड करने में सक्षम नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार सिस्टम डिजाइन में कमी और वार्ड अधिकारियों की निगरानी करने में विफलता के परिणामस्वरूप व्यापारियों को ₹ 40.41 करोड़ के अधिक सांविधिक फॉर्म जारी हो गए जिससे ₹ 1.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

डीटीटी ने कहा (सितंबर 2017) कि संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों को माँग राशि की वसूली तथा विधि के अनुसार विधिपूर्ण माँग सृजित करने के लिए सभी मामलों के निर्धारण/ पुनः निर्धारण करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये। यह भी जवाब दिया कि सिस्टम शाखा को मामले की जाँच करने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करके डीवैट सिस्टम को सुदृढ करने के लिए निर्देश दिया गया है।

विभाग उन मामलों की समीक्षा करने पर विचार करें जहाँ डीलरों द्वारा अपने रिटर्न में खरीद की गई घोषित राशि की तुलना में फॉर्म डाउनलोड किये और उन डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये जिन्होंने फॉर्म की डाउनलोडिंग प्रक्रिया का दुरुपयोग किया क्योंकि डीलरों द्वारा धोखाधड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। वार्ड अधिकारियों द्वारा स्वयं इन उल्लंघनों को ढूँढने में विफलता का कारण और सांविधिक फॉर्मों को ऑनलाइन डाउनलोड करने के सिस्टम डिजाइन में संभावित कमी के कारणों का सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विश्लेषण किया जाना चाहिए।

1.2.4 पंजीकरण प्रमाण पत्र में विवरण के सत्यापन के बिना व्यापारियों को सांविधिक फार्मों को जारी करना

सीएसटी (पंजीकरण व टर्नओवर) नियमावली, 1957 का नियम 5(1) निर्धारित करता है कि सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) में क्रय और विक्रय करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट माल के श्रेणी या श्रेणियाँ, व्यापार के मुख्य स्थल और अन्य राज्यों में व्यापार के अतिरिक्त स्थलों, जहाँ से व्यापारी व्यापार करता है, का विवरण शामिल होगा। सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 2(डी डी) के अंतर्गत

‘व्यापार के स्थल’ में एक एजेंट के व्यापार का स्थल भी शामिल है जिसके माध्यम से व्यापारी अपना व्यापार करता है।

(i) पंजीकरण प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किए गए मर्दों के प्रति व्यापारियों को फॉर्मों को जारी करना

सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 10(बी) और 10(ए)(1) अन्य बातों के साथ निर्धारित करती हैं कि यदि कोई व्यापारी किसी श्रेणी की वस्तु को खरीदते हुए उस श्रेणी के अपने आरसी में होने का झूठा दावा करता है, तो सक्षम प्राधिकारी उस पर माल की बिक्री पर लगे कर के डेढ़ गुना तक का जुर्माना लगा सकता है। सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 10(ए)(2) निर्धारित करती है कि लगाया गया जुर्माना उस राज्य में एकत्रित किया जाएगा, जिसमें माल क्रय करने वाला व्यक्ति ऐसे माल की खरीद के संबंध में फॉर्म प्राप्त कर रहा है।

86 मामलों (जहां प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक के फॉर्म जारी हुए) की जांच में पाया गया कि सात मामलों में क्रेता व्यापारियों को उन मर्दों के प्रति ₹ 348.44 करोड़ के सी’ और ‘एफ’ फॉर्म डाउनलोड करने की अनुमति दी गई जोकि उनके आरसी में दर्ज नहीं थे। ये व्यापारी ऐसे क्रय के प्रति ₹ 69.37 करोड़ का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी हैं **(अनुलग्नक 1.2.3)** लेकिन डीटीटी फॉर्म जारी करने से पहले आरसी के प्रति सही जांच करने में असफल रही और जुर्माना उद्ग्रहित नहीं किया गया।

(ii) पंजीकरण प्रमाण पत्र में शाखा/माल एजेंट विवरण के बिना ‘एफ’ फॉर्म को जारी करना

शाखा स्थानांतरण/माल बिक्री के मामले में सीएसटी अधिनियम की धारा 6(ए)(1) प्रावधान करता है कि हस्तांतरणकर्ता को कर से छूट मिलती है बशर्ते कि ऐसी बिक्री के समर्थन में हस्तांतरण उसे फॉर्म ‘एफ’ जारी करे।

86 मामलों की जांच (जहां प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक के फॉर्म जारी हुए) में पाया गया कि दो मामलों⁴ में व्यापारियों को जैसा कि उनकी रिटर्न में दिखाया है, ₹ 136.73 करोड़ के माल का क्रय/शाखा स्थानांतरण का दावा अनुमत हुआ तथा फॉर्म ‘एफ’ जारी हुए। हालाँकि इन व्यापारियों की आरसी में उनके द्वारा जिनसे क्रय किये गए, उन शाखाओं/माल एजेंटों का विवरण शामिल नहीं है। इस प्रकार फॉर्म ‘एफ’ के दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रय व्यापारी को फॉर्म ‘एफ’ जारी करने से पूर्व आरसी

⁴ (क) टिन- 07636895807, वार्ड-24, फॉर्मों की राशि- ₹ 72,97,67,389
(ख) टिन- 07756894189, वार्ड-62, फॉर्मों की राशि- ₹ 63,75,43,901

में शाखा/माल एजेंट के विवरण की जांच करनी चाहिए थी। इसके अभाव में व्यापारियों द्वारा फॉर्म 'एफ' के प्रति ₹ 136.73 करोड़ के शाखा स्थानान्तरण पर क्रय की वैधता को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका और एक जोखिम है कि ये शाखा स्थानान्तरण/माल क्रय नहीं थे और करारोपण से बच गए।।

इस प्रकार वार्ड अधिकारियों द्वारा सीएसटी अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन से कुल ₹ 485.17 करोड़ के फॉर्म अनियमित रूप से जारी हुए और ₹ 69.37 करोड़ का जुर्माना नहीं लगा।

डीटीटी ने दोनों मुद्दों पर कहा (सितंबर 2017) कि जो मद, एजेंट विवरण डीवैट-04 या आरसी में उपलब्ध न हों, उनके लिए डीवैट सिस्टम के व्यापारी पोर्टल में मद और शाखा/माल एजेंट जोड़ने के लिए 'एड आइटम' लिंक उपलब्ध की गई है। यह इसलिए किया गया था ताकि व्यापारी फॉर्म डाउनलोड करने से पहले ऐसे विवरण को जोड़ सकें। यह तर्क दिया गया कि इन मामलों में, हालाँकि मद और शाखा/माल एजेंट विवरणों को आरसी में शामिल नहीं किया था, फिर भी फार्मों के डाउनलोड की अनुमति हो गई क्योंकि इस तरह के विवरण व्यापारियों द्वारा ऑनलाईन जोड़ दिए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आरसी में संशोधन अंतर्राज्यीय व्यापार के संबंध में नए मद जिसका व्यापार करना है, नई शाखा/माल एजेंट का विवरण आदि को जोड़ना सीएसटी अधिनियम की धारा 7(4) और सीएसटी (पंजीकरण व टर्नओवर) नियमावली के नियम 9 के तहत ही अनुमत है। यह या तो व्यापारी द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर या विभाग द्वारा व्यापारी को आवश्यक नोटिस देने के बाद किया जाना था परन्तु इन मामलों में कुछ नहीं किया गया। डीवैट सिस्टम में 'एड आइटम' सृजित करना सीएसटी अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध है।

विभाग को इस तरह के सभी उल्लंघनों की जाँच करनी चाहिए और अधिनियम को प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा, पहले आरसी में उपलब्ध मदों, शाखाओं/एजेंटों के विवरण की जाँच सुनिश्चित करके डीलरों को फॉर्म डाउनलोड करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए तथा विभाग को सांविधिक फॉर्मों का दुरुपयोग रोकने के लिए विद्यमान सिस्टम की समीक्षा भी करनी चाहिए।

1.2.5 निर्देशों के गैर अनुपालन के कारण ₹ 499.49 करोड़ के सांविधिक फार्मों का अनियमित रूप से जारी होना

(i) डीवैट सिस्टम से बिना किसी भी व्यावहारिक विक्रय (स्थानीय/अन्तर्राज्यीय) या नगण्य विक्रय को दर्शाये, सांविधिक फार्मों की डाउनलोडिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए, नवम्बर 2015 में डीटीटी ने सिस्टम को प्रतिबंधित कर दिया और निर्णय लिया कि व्यापारियों जिनकी कर अवधि के लिए कुल विक्रय, कुल क्रय राशि के 60 प्रतिशत से कम है, को सांविधिक फार्मों को डाउनलोड करने की अनुमति न दी जाए। संबंधित वार्ड अधिकारी को किसी भी व्यापारी द्वारा उच्च मूल्य के फार्मों के डाउनलोड पर ध्यान देना आवश्यक था। जनवरी 2016 में 60 प्रतिशत की सीमा को घटाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया था।

प्रत्येक मामले में जहाँ ₹ 10 करोड़ या अधिक की राशि के फॉर्म जारी किए थे वहाँ लेखापरीक्षा ने 86 मामलों का चयन किया। इसके अतिरिक्त, 55 मामलों का चयन किया, जहाँ प्रत्येक मामले में विक्रय तथा क्रय अनुपात 60 प्रतिशत से कम था तथा प्रत्येक फॉर्म एक करोड़ से अधिक था तथा जो 18 नवम्बर 2015 के बाद जारी किये थे। इन मामलों की संवीक्षा से पता चला कि वार्ड अधिकारियों ने निम्नलिखित 16 मामलों में कथित निर्देशों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप व्यापारियों ने सांविधिक फॉर्मों को डाउनलोड करने में अनियमितता की जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:-

(क) दो मामलों में, व्यापारियों ने ₹ 51.74 करोड़ का क्रय तथा केवल ₹ 12.40 करोड़ का विक्रय दर्शाया। व्यापारियों का विक्रय तथा क्रय अनुपात 23 प्रतिशत⁵ तथा 29 प्रतिशत⁶ पाया गया जोकि डीटीटी द्वारा सांविधिक फॉर्मों को डाउनलोड करने की 60 प्रतिशत की निर्धारित अवसीमा से कम था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन व्यापारियों को ₹ 41.15 करोड़ के फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनुमति दी थी।

(ख) 13 मामलों में, व्यापारियों का विक्रय तथा क्रय अनुपात 'शून्य' था तथा इन व्यापारियों को विभागीय वेबसाइट से ₹ 154.50 करोड़ (अनुलग्नक 1.2.4) के सांविधिक फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनुमति दी थी।

(ग) एक मामले में, डीटीटी ने व्यापारी⁷ का पंजीकरण 24 फरवरी 2014 को डीवैट-11⁸, जोकि 11 जून 2015 को जारी किया के आधार पर रद्द कर

⁵ टिन- 07020475664, वार्ड-66, 2014-15

⁶ टिन- 07816977932, वार्ड-24, 2015-16

⁷ टिन- 07826913211, वार्ड-24

⁸ डीटीटी के द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस के आधार पर व्यापारी की आर सी रद्द करने हेतु डी वैट-11 जारी किया गया।

दिया। व्यापारी द्वारा फाइल की गई अंतिम संशोधित रिटर्न के अनुसार वर्ष 2014-15 में इसका विक्रय ₹ 89.96 करोड़ तथा कुल अन्तर्राज्यीय क्रय ₹ 480.49 करोड़ था। हालाँकि, क्रय से विक्रय का अनुपात केवल 19 प्रतिशत था, व्यापारी को नवम्बर 2015 के बाद ₹ 240.37 करोड़ के सांविधिक फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए क्रय पर विक्रय अनुपात 'शून्य' था परंतु व्यापारी ने ₹ 239.52 करोड़ के अन्तर्राज्यीय क्रय के फॉर्मों का दावा किया। हालाँकि, नवम्बर 2015 के बाद ₹ 63.46 करोड़ के फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार, व्यापारी को वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 303.83 करोड़ के सांविधिक फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनियमित अनुमति दी गई।

इस प्रकार, नवम्बर 2015 में डीटीटी द्वारा जारी किए गए निर्देश, जिसमें वे व्यापारी जिन्होंने अधिक अन्तर्राज्यीय क्रय दिखाया लेकिन इसका विक्रय 'नगण्य' था, को फॉर्म ऑनलाइन जारी करने से रोका जाना था, को लागू करने में वार्ड अधिकारी असफल रहे। जिसके कारण अयोग्य व्यापारियों को ₹ 499.49 करोड़ की राशि के फॉर्मों को अनियमित जारी किया गया।

(ii) डीवैट अधिनियम की धारा 23 में अन्य बातों के साथ यह निर्धारित है कि एक व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द हो चुका है, रद्द की तिथि को रखे गए माल को यदि वह उचित बाजार मूल्य पर बेचता है तो उसे उस संबंधित माल पर कर का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन 16 व्यापारियों द्वारा ₹ 823.89 करोड़ के अन्तःशेष स्टॉक के निर्धारण में वार्ड अधिकारी असफल रहे तथा डीवैट अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत निर्धारित ₹ 46.11 करोड़ (अनुलग्नक 1.2.5) के कर का उद्ग्रहण नहीं किया क्योंकि इन व्यापारियों का आरसी रद्द था।

(iii) 16 मामलों में से तीन मामलों में, व्यापारियों ने ₹ 81.24 करोड़ के सांविधिक फॉर्मों के प्रति अन्तर्राज्यीय बिक्री के रूप में दर्शाये। हालाँकि सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत वार्ड अधिकारियों ने मामलों का निर्धारण नहीं किया तथा राजस्व की हानि की संभावित राशि ₹ 4.20 करोड़ (अनुलग्नक 1.2.6) निकाली गई। सिस्टम में अयोग्य व्यापारियों द्वारा फॉर्मों की डाउनलोडिंग को अवरूद्ध करने में आवश्यक अवरोधों में भी कमी थी।

डीटीटी ने अपने जवाब (सितम्बर 2017) में बताया कि तीन मामलों⁹ में, फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किए गए थे, हालाँकि व्यापारी क्रय से विक्रय अनुपात को 60 प्रतिशत के मानदण्ड को पूरा नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि इन मामलों में, ऐसा हो सकता है कि फॉर्म परिपत्र जारी करने की तिथि तथा डीवैट मॉड्यूल पर संबंधित सॉफ्टवेयर के लागू होने की वास्तविक तिथि के बीच अन्तराल अवधि के दौरान डाउनलोड किए गए हों।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन में डीटीटी ने अयोग्य व्यापारियों को फॉर्म डाउनलोड करने की अनुमति दी थी। इन फॉर्मों को 20 नवम्बर 2015 तथा 8 मार्च 2016 के बीच डाउनलोड किया जबकि परिपत्र 18 नवम्बर 2015 को जारी किया था। इन सभी मामलों में क्रय से विक्रय अनुपात शून्य से 29 प्रतिशत की रेंज के बीच थी जोकि 45 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत की सीमा रेखा से बहुत कम थी। जवाब सिस्टम अपडेशन के गैर-तुल्यंकन तथा अनैतिक व्यापारियों को सांविधिक फॉर्मों को डाउनलोड करने की सुविधा के दुरुपयोग के प्रति रोक का बचाव डीटीटी के इरादे को दर्शाता है। विभाग को वार्ड अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जो विभागीय निर्देशों को लागू करने में विफल हुए तथा जिन्होंने डीवैट अधिनियम, सीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया।

1.2.6 डीवैट-11 को जारी करने, डीवैट-09 को फाइल करने के बाद सांविधिक फॉर्मों को अनियमित रूप से जारी करना तथा व्यापारियों का गैर निर्धारण

डीवैट अधिनियम, 2004 की धारा 22 तथा डीवैट नियमावली 2005 के नियम 16 के अन्तर्गत व्यापारी का पंजीकरण या तो व्यापारी के डीवैट-09 फॉर्म में निवेदन अथवा डीटीटी के द्वारा रद्द किया जा सकता है। उन मामलों में जहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र डीटीटी द्वारा रद्द किया जाता है वहाँ संबंधित व्यापारी को 'कारण बताओ नोटिस' (फॉर्म डीवैट-10 में) देने के बाद केवल डीवैट-11 जारी करके किया जाता है। नोटिस जारी करने के अतिरिक्त डीटीटी, वैंट इंस्पैक्टरों को नियुक्त करके व्यापारियों का सत्यापन करता है। दिनांक 31 अक्टूबर 2008 का परिपत्र अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित करता है कि संबंधित वार्ड अधिकारी को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में जहाँ व्यापारी अपने व्यापार को समाप्त कर चुका है वहाँ तुरंत निर्धारण करना चाहिए तथा प्रभावित वसूली की मांग, यदि कोई है, के लिए कदम उठाना चाहिए। चयनित

⁹ टिन- 07020475664, वार्ड-66, 2014-15

टिन- 07816977932, वार्ड-24, 2015-16

टिन- 07826913211, वार्ड-24

86 मामलों की संवीक्षा तथा डाटाबेस का विश्लेषण जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक की राशि के सांविधिक फॉर्मों को जारी किया, निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला है:-

(क) चार मामलों में, यह देखा गया कि व्यापारी की आरसी निर्धारक द्वारा किये निवेदन (डीवैट-09) के आधार पर रद्द की गई तथा किसी व्यापारी ने आरसी के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। फिर भी, इन व्यापारियों को डीवैट 09 (अगस्त 2014 तथा जून 2015 के बीच) जमा करने के बाद मूल/संशोधित रिटर्न फाइल करने के आधार पर ₹ 374.46 करोड़ (अक्टूबर 2014 तथा जनवरी 2016 के बीच) फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनुमति दी गई। यह देखा गया कि व्यापारियों ने फॉर्मों के प्रति ₹ 389.11 करोड़ का अन्तर्राज्यीय विक्रय किया। परंतु वार्ड अधिकारियों द्वारा सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण पूरा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 42.68 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ **(अनुलग्नक 1.2.7 (क))** क्योंकि निर्धारितियों द्वारा अन्तर्राज्यीय विक्रय दिखाया गया परंतु उनके द्वारा फॉर्म 09 में सांविधिक फॉर्मों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो मामलों में, अंतिम रिटर्न फाइल करने के अनुसार व्यापारियों के माल का अंतशेष ₹ 447.97 करोड़ था लेकिन वार्ड अधिकारियों ने डीवैट अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत ऐसे स्टॉक होने पर ₹ 72.05 करोड़ **(अनुलग्नक 1.2.7 (क))** के कर का आरोपण नहीं किया।

(ख) 86 मामलों में से सात की नमूना जाँच दर्शाती है कि डीटीटी ने वैट इंस्पेक्टरों द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद डीवैट 11 जारी करके पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया। सत्यापित रिपोर्ट दर्शाती है कि ये व्यापारी, डीटीटी के साथ पंजीकृत उनके पते पर कार्य नहीं कर रहे थे। फिर भी इन व्यापारियों को डीवैट-11 जारी होने के बाद भी ₹ 196.37 करोड़ के फॉर्म डाउनलोड करने की अनुमति दी गई **(अनुलग्नक 1.2.7 (ख))**। यह भी देखा गया है कि इन व्यापारियों ने फॉर्मों के प्रति ₹ 247.38 करोड़ के अन्तर्राज्यीय विक्रय का दावा किया लेकिन व्यापारियों द्वारा फॉर्म 09 में सांविधिक फॉर्मों के विवरण को प्रस्तुत नहीं किया। सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत वार्ड अधिकारियों ने उन्हें फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनुमति से पहले निर्धारण नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.37 करोड़ के कर का गैर-उद्ग्रहण हुआ **(अनुलग्नक 1.2.7(ख))**।

इस प्रकार सिस्टम प्रतिबंध की अनुपस्थिति तथा वार्ड अधिकारियों द्वारा गैर-निगरानी, उन व्यापारियों जिनका आरसी डीवैट-11 तथा डीवैट-09 के आधार पर पहले ही रद्द हुआ था, को ₹ 570.83 करोड़ के फॉर्मों को अनियमित जारी

करने का कारण बना। चूँकि सीएसटी अधिनियम के प्रावधानों तथा वार्ड अधिकारियों के विभागीय निर्देशों की अनुपालना नहीं हो रही थी जिसके कारण ₹ 636.49 करोड़ के अन्तर्राज्यीय विक्रय का निर्धारण नहीं हुआ फलस्वरूप ₹ 55.05 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

मामला विभाग को सितम्बर 2017 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

विभाग को जिन डीलरों की आरसी पहले ही रद्द थीं उनके निर्धारण और कर देनदारियों के निर्धारित करने में विफलता के लिए वार्ड अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। इसके अलावा विभाग को सांविधिक फॉर्मों का दुरुपयोग रोकने के लिए विद्यमान सिस्टम की समीक्षा भी करनी चाहिए।

1.2.7 सांविधिक फॉर्मों को जारी करने के लिए सिस्टम में कमी

डीटीटी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और उसके बाद के लिए अपने पंजीकृत डीलरों को सांविधिक फॉर्मों को ऑनलाइन सृजित करने (अगस्त 2012) प्रारंभ किये। जोकि बाद में पहले की अवधि के लिए बढ़ाया (अगस्त 2013) गया। व्यापारी फॉर्मों के प्रति किए गए अन्तर्राज्यीय क्रयों के विवरण अपलोड करके फॉर्मों को डाउनलोड कर सकते थे। अगस्त 2012 में जारी किए गए परिपत्र के अनुसार, ऑनलाइन जारी किए जाने वाले प्रत्येक सांविधिक फॉर्म को एक विशिष्ट संख्या, बारकोड, इलेक्ट्रॉनिक सील और वाटरमार्क देना था। डीवैट सिस्टम को व्यापारियों को दोषपूर्ण सांविधिक फॉर्मों के सृजित तथा जारी करने से रोकने के लिए आवश्यक वैधता जाँच से लैस होना था। 86 मामलों, जहाँ व्यापारी को ₹ 10 करोड़ से अधिक के सांविधिक फॉर्मों को जारी किया, का डाटा विश्लेषण दर्शाता है कि:-

- (क) चार मामलों में, ₹ 61.75 करोड़ (अनुलग्नक 1.2.8) के सकल क्रय के पाँच लेनदेनों के लिए डीटीटी ने प्रत्येक क्रय राशि के प्रति विभिन्न सांविधिक फॉर्म जारी किये।
- (ख) दो मामलों में, व्यापारियों को जारी ₹ 1.22 करोड़ (अनुलग्नक 1.2.9 (क)) के 50 सांविधिक फॉर्मों में एक ही क्रम संख्या धारक थे। एक व्यापारी¹⁰ को चार 'सी' फॉर्म तथा पांच 'एफ' फॉर्म एक ही क्रम संख्या वाले जारी किए जो सिस्टम डिजाइनिंग में कमियों को इंगित करता है क्योंकि सांविधिक फॉर्म जारी करने की मूल आवश्यकता के रूप में, विशेष पहचान संख्या की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था।

¹⁰ टिन 07310254878, वार्ड-64

(ग) एक अन्य मामले में, व्यापारी को 'शून्य' कीमत वाले चार 'एफ' फॉर्म जारी किए गए लेकिन सिस्टम में डीलर प्रोफाइल में ₹ 22.18 करोड़ (अनुलग्नक 1.2.9 (ख)) की लेन-देन की कीमत दर्शाई।

उपरोक्त विसंगतियों के परिणामस्वरूप एक ही लेन-देन के प्रति बहु फॉर्म, अलग-अलग फॉर्मों के लिए एक ही क्रम संख्या सृजित तथा 'शून्य' कीमत के फॉर्म जारी किए।

डीटीटी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि दो मामलों में, सिस्टम ब्रांच क्रय के एकल लेन-देन के प्रति बहु सांविधिक फॉर्मों को जारी करने की जाँच कर रही है तथा आवश्यक वैधता जाँच कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि निर्धारण प्राधिकारी ने नियमानुसार मांगों तथा मांग की वसूली के सृजन के लिए नियम के अनुसार इन मामलों का निर्धारण/पुनर्निर्धारण करने के निर्देश जारी किये गये हैं। दो मामलों में, जहाँ एक ही क्रम संख्या धारक सांविधिक फॉर्म जारी किए गए वहाँ डीटीटी ने कहा कि यह एक तकनीकी विसंगति है तथा सिस्टम ब्रांच, भविष्य में इस तरह के मामले दोहराए न जाएं, इसकी सुनिश्चितता के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

एकल खरीद मूल्य के प्रति कई फॉर्म को सृजित करना और कई फॉर्म एक ही क्रम संख्या का होना सामान्य रूप से स्वचालित वातावरण में संभव नहीं होते हैं तथा इसलिए धोखाधड़ी और/या अनाधिकृत नियंत्रण का उल्लंघन करने की संभावना की प्रभावी ढंग से जाँच की जानी चाहिए।

1.2.8 निष्कर्ष

सांविधिक फॉर्मों को जारी करने में वार्ड अधिकारियों की उपयुक्त तत्परता तथा निगरानी के अपर्याप्त कारण थे। इसके साथ-साथ डीवैट सिस्टम में प्रकट कमियों का पता लगाने/मजबूत करने में असफल रहा। व्यापारियों को पिछली माँगों की वसूली की सुनिश्चितता तथा रिटर्न में घोषित क्रय राशि के प्रति सत्यापन के बिना ही सांविधिक फॉर्मों को जारी किया गया। व्यापारियों द्वारा पंजीकरण के अपने प्रमाणपत्र में शाखा कार्यालय/माल एजेंटों और वस्तुओं जिनका व्यापार किया जाना है, का विवरण दिए बिना सांविधिक फॉर्म जारी किए गए। वार्ड प्राधिकारियों द्वारा फॉर्मों को डाउनलोड करने के दुरुपयोग की जाँच के लिए विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जोकि व्यापारियों द्वारा फॉर्मों को अनियमित डाउनलोड करने का कारण बना। प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर आर सी को रद्द करने के बाद भी व्यापारियों को सांविधिक फॉर्म जारी किये गए। सिस्टम डिजाइन में कमियां तथा उचित

वैधता जाँच के अभाव के परिणामस्वरूप एक ही क्रम संख्या युक्त बहु फॉर्म जारी किए गए तथा एकल लेन-देन मूल्य को सांविधिक फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दो बार इस्तेमाल हुए। इस प्रकार की कमियों के परिणामस्वरूप, ₹ 1,892.78 करोड़ के सांविधिक फॉर्म अनियमित जारी किए गए। इसी के परिणामस्वरूप कुछ मामलों में ₹ 248.08 करोड़ की राशि के कर/जुर्माने का उद्ग्रहण छूट गया। विभाग को ऐसे सभी उल्लंघनों की जाँच करनी चाहिए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा विभाग को सांविधिक फॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विद्यमान सिस्टम की समीक्षा भी करनी चाहिए।

इसके अलावा, इस रिपोर्ट में इंगित कमियाँ नमूना के आधार पर हैं। हालाँकि डीटीटी ऐसे मुद्दों पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित इसी आधार पर गौर कर सकता है तथा वार्ड अधिकारियों की जवाबदेही लागू करने तथा कर के कम भुगतान पर वसूली, यदि कोई है, पर उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

मामला सरकार को अगस्त 2017 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

1.3 व्यापारियों द्वारा कर की रियायती दरों के अनियमित दावे के कारण राजस्व की हानि

रियायती कर के लिए व्यापारियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण अधिकारी की विफलता के कारण ₹ 20.91 लाख के कर का कम उद्ग्रहण, ₹ 11.11 लाख के ब्याज तथा ₹ 20.91 लाख के जुर्माने सहित ₹ 52.93 लाख के राजस्व की हानि हुई।

केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) तथा 8(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यापारी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान माल एक पंजीकृत व्यापारी को विक्रय करता है, वह उसकी टर्नओवर का दो प्रतिशत की दर से कर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा बशर्ते कि माल विक्रेता व्यापारी, क्रय व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत भरे हुये 'सी' फॉर्म में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, दिल्ली मूल्यवर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 86(10) यह अनुबंध करता है कि व्यापारी दस हजार रुपये की राशि या कर की कमी की राशि, जो भी अधिक हो, जुर्माने के रूप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत किसी राशि के भुगतान में चूक के लिए ब्याज भी भुगतान योग्य होगा।

वार्ड-17 के रिकॉर्डों से पता चला कि तीन व्यापारियों¹¹ ने निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए फार्म 2ए/2बी में ऑनलाइन क्रय तथा विक्रय फाइल किया। इन व्यापारियों ने 'सी' फॉर्मों के प्रति ₹ 1.99 करोड़ के अन्तर्राज्यीय बिक्री तथा उन विक्रयों पर दो प्रतिशत की दर से रियायत दर के कर का भुगतान किया। राजस्थान विभागीय वेबसाइट का ऑनलाइन डाटा दर्शाता है कि क्रय व्यापारियों का पंजीकरण, विक्रय व्यापारियों से लेन-देन होने से पूर्व ही रद्द हो चुका था। वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान सरकार से लेखापरीक्षा द्वारा प्रति-सत्यापन में भी पुष्टि हुई कि दोनों क्रय व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका था। विभाग ने मार्च 2014 तथा मार्च 2017 के दौरान मामलों का निर्धारण किया परंतु इस अनियमितता का पता नहीं लगा सका। अतः विक्रय व्यापारियों द्वारा कर की रियायती दर का दावा अनुमत नहीं था। इस कारण से व्यापारी ₹ 11.11 लाख के ब्याज तथा ₹ 20.91 लाख के जुर्माने के साथ बाकी ₹ 20.91 लाख (₹ 1.99 करोड़ के 10.5 प्रतिशत की दर से) के कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

इस प्रकार, रियायती कर के लिए व्यापारियों की पात्रता सुनिश्चित करने में निर्धारण प्राधिकारी की असफलता के कारण ₹ 20.91 लाख के कर के कम उद्ग्रहण, ₹ 11.11 लाख का ब्याज तथा ₹ 20.91 लाख के जुर्माने को शामिल करते हुये ₹ 52.93 लाख के राजस्व की हानि हुई।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए चूक निर्धारण द्वारा दो व्यापारियों¹² के प्रति ब्याज सहित ₹ 24.75 लाख की माँग सृजित की गयी है। अन्य दो मामलों में विभाग ने बताया कि माँग पहले ही सृजित की जा चुकी थी। उतर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित माँग 'सी' फॉर्मों में अंतर के लिए है जिसके लिए विभाग द्वारा कोई माँग सृजित नहीं की गयी है। उत्तर में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के पहलू को भी शामिल नहीं किया गया।

मामला सरकार को अगस्त 2017 में भेजा गया; उनका उतर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

¹¹ टिन- 07780109944, 07300245329, 07830376521

¹² टिन- 07780109944, 07300245329

1.4 इनपुट कर जमा का अनियमित दावा

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय व्यापारियों द्वारा कर जमा के विवरण का सत्यापन किए बिना निर्धारितियों को ₹ 18.80 लाख का इनपुट कर जमा अनुमत्य किया, परिणामस्वरूप ₹ 18.80 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 10.80 लाख के ब्याज तथा ₹ 18.80 लाख का जुर्माना भी उदग्रहणीय था।

दिल्ली मूल्यवर्धित कर (डीवैट) अधिनियम 2004 की धारा 9(2)(ए) अनुबंध करती है कि ऐसे व्यक्ति जो कि पंजीकृत व्यापारी नहीं हैं, से क्रय किए गए माल के लिए कर निर्धारितियों को कोई कर जमा अनुमत्य नहीं होगा। धारा 9(2)(जी) यह अनुबंध करती है कि व्यापारियों या व्यापारी वर्ग को कर जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक की क्रय व्यापारी द्वारा भुगतान किए गए कर को वास्तव में विक्रय व्यापारी द्वारा सरकार को जमा कर दिया गया है या आउटपुट कर देयता के प्रति कानूनी रूप से समयोजित किया गया है तथा संबंधित कर अवधि के लिए फ़ाइल रिटर्न में सही तरीके से दर्शाया नहीं गया है। डीवैट अधिनियम की धारा 86(10) यह अनुबंध करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष सामग्री में असत्य, भ्रामक या धोखापूर्ण रिटर्न प्रस्तुत करता है वह दस हजार रुपये की राशि या कर की कम राशि जो भी अधिक है, जुर्माने के रूप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत किसी राशि के भुगतान में चूक के लिए ब्याज देने के लिए भी उत्तरदायी होगा। व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी) ने हालाँकि निम्नलिखित मामलों में डीवैट अधिनियम के इन प्रावधानों का पालन नहीं किया:

1. दो वार्डों¹³ के रिकॉर्डों से पता चला कि दो कर निर्धारितियों¹⁴ ने निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा 2014-15 के लिए क्रय तथा विक्रय के सारांश सहित त्रैमासिक रिटर्न फ़ाइल की। डीटीटी के सर्वर पर उपलब्ध निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा 2014-15 के कर निर्धारण में इन कर निर्धारितियों के क्रय सारांश (अनुलग्नक 2 ए) के अनुसार निर्धारितियों ने ₹ 2.94 करोड़ के स्थानीय क्रय पर ₹ 14.71 लाख का इनपुट कर जमा (आइटीसी) का दावा किया। जबकि, प्रतिसत्यापन में पाया गया कि विक्रय व्यापारियों ने संबंधित कर अवधि के निर्धारितियों को विक्रय नहीं दर्शाया था।

¹³ वार्ड संख्या 14 तथा 95

¹⁴ टिन- 07850108596,07760263409

2. इसी प्रकार, वार्ड 70 के तीन निर्धारितियों¹⁵ ने ₹ 0.82 करोड़ का माल क्रय किया तथा 2010-11 के निर्धारण वर्ष में ₹ 4.09 लाख का आईटीसी का लाभ उठाया। लेखापरीक्षा ने इन कर निर्धारितियों के क्रय सारांश (फार्म डीवैट 30/अनुलग्नक 2 ए) को जांचा तथा पाया कि आईटीसी का दावा अनियमित था क्योंकि विक्रय व्यापारी डीटीटी में पंजीकृत नहीं थे तथा उनके पास करदाता पहचान संख्या नहीं थी।

इस प्रकार, कर निर्धारण प्राधिकारी का विक्रय व्यापारियों द्वारा जमा कर के विवरण को सत्यापित करने में असफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 18.80 लाख (₹ 14.71 लाख + ₹ 4.09 लाख) के कर के उद्ग्रहण में कमी हुई तथा इसके अतिरिक्त ₹ 10.80 लाख के ब्याज तथा ₹ 18.80 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

विभाग ने दो कर निर्धारितियों¹⁶ के मामले में तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा ₹ 33.44 लाख की अतिरिक्त माँग का सृजन किया। शेष तीन कर निर्धारितियों¹⁷ के मामले में विभाग ने बताया कि व्यापारियों का कर निर्धारण पहले ही किया जा चुका था तथा माँग का सृजन किया जा चुका था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन मामलों में निर्धारण केवल लम्बित सांविधिक फार्मों तथा सम्पत्तियों के विक्रय के संबंध में ही किया गया था। उत्तर मूक है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रय व्यापारी के कर जमा सत्यापन के बिना आईटीसी की अनुमति दी।

मामला सरकार को अगस्त 2017 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

1.5 माँग की गैर-वसूली तथा परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

जिन व्यापारियों का पंजीकरण रद्द हो चुका था उनसे विभाग ₹ 3.90 करोड़ की माँग वसूल करने में विफल रहा।

दिल्ली मूल्यवर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 32(2) तथा 33(2) तथा केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) में यह प्रावधान है कि निर्धारित किये गये अतिरिक्त कर और जुर्माने की राशि आयुक्त द्वारा दिए गए निर्धारण आदेश में निर्धारित तिथि के भीतर देय तथा भुगतान योग्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कर की राशि, ब्याज या जुर्माना, संयोजन राशि या अन्य देय राशि जो कि देय तिथि के बाद भी

¹⁵ टिन- 07320165487,07340340173,07700135402

¹⁶ टिन- 07850108596,07760263409

¹⁷ टिन- 07320165487,07340340173,07700135402

भुगतान के लिए शेष है, डीवैट अधिनियम 2004 की धारा 43 के अन्तर्गत वसूलनीय होगी। इसके बाद डीवैट अधिनियम 2004 की धारा 22(9) यह अनुबंध करती है कि पंजीकरण को रद्द करने से या जो निर्धारित है, ऐसे रद्द करने की तिथि पर किसी व्यक्ति की देयता को किसी अवधि के लिए देय कर के भुगतान करने तथा भुगतान न करने को प्रभावित नहीं करेगा या उसके बावजूद कि उस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत वह अन्यथा कर भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

वर्ष 2008-09 से 2013-14 के लिए तीन वार्डों¹⁸ के रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला है कि डीवैट अधिनियम 2004 की धारा 32 तथा 33 तथा सी एस टी अधिनियम की धारा 9(2) के अन्तर्गत मई 2013 तथा सितम्बर 2015 के बीच 12 व्यापारियों का निर्धारण किया गया तथा ₹ 3.90 करोड़ (कर ₹ 1.79 करोड़; ब्याज ₹ 0.39 करोड़ तथा जुर्माना ₹ 1.72 करोड़) की माँग सृजित की गई हालांकि विभाग ने उनके पंजीकरण को रद्द कर दिया था।

निर्धारण प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार, व्यापारी को निर्धारण नोटिस के जारी करने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर माँग जमा करनी थी। यदि माँग निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की गई, तो विभाग डीवैट अधिनियम 2004 की धारा 43 के अन्तर्गत कर, ब्याज तथा जुर्माने की वसूली की आगे की प्रक्रिया के शुरू करने तथा वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द होने के 20 महीने से 49 महीने के बीत जाने के बावजूद भी व्यापारियों के प्रति माँग वसूली की कोई कार्रवाई नहीं की।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि वसूली की कार्रवाई पहले ही व्यापारियों को रिकवरी नोटिस/माँगों की रिट जारी करके शुरू की गई थी। ब्याज सहित माँग की वसूली के लिए उनके बैंक खाते के जब्ती के नोटिस जारी किए गए हैं। व्यापारियों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से शीघ्र भुगतान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उतर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीवैट अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत निर्धारण नोटिस के एक महीने के बीत जाने के तुरंत बाद, रिकवरी नोटिस/ माँगों की रिट जारी किए जाने थे, जबकि विभाग द्वारा 20 महीने से 49 महीने के बीत जाने के बाद जब लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया ऐसे नोटिस जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, 31 अक्टूबर 2017 तक निर्धारण माँग वसूल नहीं की जा सकी। डीवैट अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत वसूली नोटिस जारी करने में देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही को लागू करने की आवश्यकता है।

¹⁸ वार्ड सं. 57, 62 और 86

मामला सरकार को जुलाई 2017 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

1.6 कर का भुगतान न करने के कारण राजस्व की हानि

एक व्यापारी की सही कर देयता का पता लगाने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.68 लाख के कर का कम भुगतान हुआ। व्यापारी द्वारा ₹ 4.75 लाख का ब्याज और ₹ 16.51 लाख का जुर्माना भी देय था।

दिल्ली मूल्यवर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 26 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, प्रत्येक कर अवधि के लिए आयुक्त को निर्धारित रूप में रिटर्न प्रस्तुत करेगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42 (2) निर्धारित करती है कि जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी भी कर, जुर्माना या अन्य राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह निर्धारित राशि के अलावा, जब तक चूक कर रहा है तब तक के लिये उस चूक की तिथि से दैनिक आधार पर गणना समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक दर से ऐसी राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, डीवैट अधिनियम की धारा 86 (12) अन्य बातों के साथ निर्धारित करती है कि, "जहां कोई कर कम दिया होता है, व्यापारी चूक की अवधि के लिये प्रति सप्ताह कर की कमी के एक प्रतिशत के बराबर या प्रति सप्ताह एक सौ रुपये, जो भी अधिक हो" जुर्माने का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

वार्ड 96 के निर्धारण वर्ष 2010-11 (2014-15 के दौरान निर्धारित) के वैटो के रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला है कि एक व्यापारी द्वारा अप्रैल, जून और जुलाई 2010 के महीनों से संबंधित ₹ 12.90 लाख का कुल देय कर दिखाया गया था लेकिन व्यापारी ने केवल ₹ 8.22 लाख का भुगतान किया। निर्धारण प्राधिकारी (एए) ने हालांकि, व्यापारी द्वारा प्रदत्त कर की सत्यता का निर्धारण करने के लिए उसकी रिटर्न की संवीक्षा नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.68 लाख के कर का कम भुगतान हुआ, जिस पर ₹ 4.75 लाख के ब्याज और ₹ 16.51 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

इस प्रकार, निर्धारण प्राधिकारी कि एक व्यापारी की सही कर दायित्व का पता लगाने में विफलता के कारण ₹ 4.68 लाख के कर का कम भुगतान हुआ इसके अतिरिक्त ₹ 4.75 लाख का ब्याज और ₹ 16.51 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

इस मामले को विभाग/सरकार को जून 2017 में भेजा गया; विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि इनपुट टैक्स की गलत गणना हो गई, खरीद सामान की वापसी को दो बार गिन लिया गया, जिसके कारण सामान की वापसी में शुद्ध कर और देय वास्तविक कर के बीच अंतर दिखा। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इनपुट कर और खरीद रिटर्न की राशि सही रूप से रिटर्न में परिलक्षित हो रही है लेकिन नियमित कर का कम भुगतान हुआ जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सही तरीके से पता नहीं लगाया गया। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

1.7 फॉर्म 'सी' के ब्यौरे को जमा न करने के कारण कर की रियायती दर की अतिरिक्त अनुमति

फॉर्म 'सी' पर कर के रियायती दर की अतिरिक्त अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 63.79 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अलावा, ₹ 37.70 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यापारी, जो अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, माल एक पंजीकृत व्यापारी को बेचता है वह उसकी टर्नओवर के दो प्रतिशत की दर से या उस राज्य के बिक्री कर नियम के अंतर्गत उस राज्य के भीतर ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर उपयुक्त दर जो भी दर कम हो, पर कर का भुगतान का उत्तरदायी होगा। सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 8(4) यह प्रावधान करती है कि व्यापारी निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित विवरण शामिल करते हुये जिसको माल विक्रय किया गया है को पंजीकृत व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा विधिवत भरे हुये फॉर्म 'सी' में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त, सीएसटी (दिल्ली) नियमावली, 2005 का नियम 4(1) बताता है कि प्रत्येक व्यापारी छः महीने की अवधि, जिस वर्ष के अंत से यह संबंधित है, के भीतर घोषणा/प्रमाण-पत्र (सांविधिक फॉर्म) की प्राप्ति से संबंधित फॉर्म 9 में एक वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिलान रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी। वर्ष 2012-13 के लिए व्यापारियों द्वारा फॉर्म-9 विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2014 थी।

वर्ड 202 के रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि एक व्यापारी¹⁹ द्वारा निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए फॉर्म 'सी' के प्रति ₹ 33.91 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री का दावा किया गया लेकिन नवम्बर 2015 और जनवरी 2016 के बीच फॉर्म-9 में केवल ₹ 12.65 करोड़ के 'सी' फॉर्म का विवरण

¹⁹ टिन-07870184051

दिखाया जिसका तात्पर्य है कि व्यापारी ने ₹ 21.26 करोड़ के फार्म 'सी' का विवरण नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.26 करोड़ की रियायती बिक्री की अधिक अनुमति हुई जिसमें ₹ 63.79 लाख का कर प्रभाव निहित था। इसके अलावा, ₹ 37.70 लाख का ब्याज भी उदग्रहणीय था।

विभाग ने बताया (सितंबर 2017) कि डीवैट अधिनियम 2004 और इसके अंतर्गत नियमों के निष्पादन सॉफ्टवेयर/मॉड्यूल आधारित है, जिसमें निर्धारण और समयबाधित मामलों के निर्धारण शामिल है (जैसा कि निर्दिष्ट व्यापारी और अवधि के संबंध में भी लागू है)। कथित सॉफ्टवेयर/मॉड्यूल उन व्यापारियों की सूची तैयार करता है जिन्होंने फॉर्म-9 भरा है और जिन्होंने फॉर्म-9 नहीं भरा है। तात्कालिक मामले में, कथित व्यापारी दोनों सूचियों में दर्शाये गये हैं और इस संबंध में वास्तविक स्थिति के पुर्नमिलान के बाद अनुवर्ती संशोधन के साथ कार्रवाई की गई। इसके अलावा, इसी बीच में, लेखापरीक्षा ने व्यापारी के संबंध में अपनी जाँच रिपोर्ट पेश की। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों की संवीक्षा तथा जाँच के बाद, व्यापारी का निर्धारण किया गया और वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 1.01 करोड़ की मांग सृजित की गई। हालांकि, विभाग द्वारा सृजित की गई मांग को नवंबर 2017 तक वसूल नहीं किया गया। इसके अलावा, डीटीटी के अधिकारियों की जवाबदेही को लागू करने की आवश्यकता है जो इस मामले का सही ढंग से निर्धारण करने में विफल रहे क्योंकि राजस्व हानि का पता चलाना संभव नहीं था यदि लेखा परीक्षा ने विभाग को नहीं बताया होता।

मामला सरकार को जुलाई 2017 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

परिवहन विभाग

1.8 सरकारी खातों में प्राप्तियाँ जमा करने में विलम्ब होने के कारण ब्याज की हानि

सरकारी खातों में प्राप्तियाँ जमा करने में विलम्ब होने के कारण ₹ 20.20 लाख के ब्याज की हानि हुई।

केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियाँ एवं भुगतान) नियमावली, 1983 का नियम 6(1) निर्धारित करता है कि सरकार के राजस्व या रसीदों या देय राशि के कारण से सरकारी अधिकारियों को दिए गए या प्राप्त सभी धन, अनुचित देरी के बिना सरकारी खाते में शामिल करने के लिए अधिकृत बैंक में पूर्ण रूप से भुगतान करें।

परिवहन विभाग (विभाग) दिल्ली के वर्ष 2015-16 और 2016-17 के रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि विभाग को मासिक आधार पर चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राष्ट्रीय परमिट लेखा में जमा कराये समेकित शुल्क का इसका शेयर तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), शिपिंग मंत्रालय, सड़क परिवहन व राजमार्ग नई दिल्ली तथा नगर निगम दक्षिणी दिल्ली से पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार प्राप्त होते हैं। विभाग ने राष्ट्रीय परमिट शुल्क के लेखे के ₹ 123.91 करोड़ और पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार के लेखे के ₹ 31.40 करोड़, कुल लेखे के ₹ 155.31 करोड़ के चैक/डिमांड ड्राफ्ट जमा कराए। लेखापरीक्षा ने बताया कि इन उच्च मूल्य की मासिक प्राप्तियाँ 24 महीनों में से 22 महीनों में समय पर जमा नहीं की गयी। इन 22 मामलों में से 6 मामलों में जमा करने में 11 दिनों से 68 दिनों के बीच तक की देरी हुई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.35 लाख की ब्याज²⁰ की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त विभाग ने उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) परियोजना को लागू करते हुए रियायतग्राही के साथ अप्रैल 2012 में समझौता किया था। समझौते की धारा 5.17.1 निर्धारण करती है कि रियायतग्राही द्वारा एकत्र कुल शुल्क में से कर से पूर्व की कुल राशि के दो प्रतिशत के बराबर राशि विभाग को रॉयल्टी के रूप में भुगतान की जाएगी। लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2017) कि रियायतग्राही द्वारा वाहन में एच.एस.आर.पी. को लगाने के लिए विभाग के संचालन ब्रांच को ₹ 10.46 लाख के रॉयल्टी चैक का भुगतान किया। 9 मार्च 2015 और 4 जनवरी 2016 के दौरान ₹ 10.46

²⁰ ब्याज की गणना 31 मार्च 2016 तक 9.5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष तथा 1 अप्रैल 2016 से 31 जुलाई 2017 तक 8.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से की गई जो राज्य और संघ शासित प्रदेशों को दिये गये केन्द्रीय ऋण के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।

लाख के चैक लेखा कार्यालय को निर्धारित तीन माह की वैधता की समाप्ति के बाद 13 अप्रैल 2016 को भेजे गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.85 लाख के ब्याज²¹ की हानि हुई।

विभाग ने उत्तर (जुलाई 2017) में कहा कि राष्ट्रीय परमिट शुल्क और पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार के संबंध में चैक राज्य परिवहन प्राधिकरण और लेखा शाखा के विभिन्न अधिकारियों से मार्क होते हुए चार से पाँच दिन बाद लेखा शाखा में पहुंचे। डाक की नियमित प्रक्रिया पर लगने वाला समय प्रेषण में देरी नहीं माना जा सकता तथा भविष्य में वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), शिपिंग मंत्रालय, सड़क परिवहन व राजमार्ग को सूचित किया जाएगा कि चैक सीधे वरिष्ठ लेखा अधिकारी, परिवहन विभाग को भेजा जाए। विभाग ने एचएसआरपी के मामले में तथ्यों और आंकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2017) कि चैक/डीडी ऑपरेशन शाखा को पुनः सत्यापन के लिए लौटा दिये थे तथा अब पुनः सत्यापन के बाद प्राप्त हो गये हैं। उसे 9 नवंबर 2017 को बैंक में जमा कर दिए गए तथा इस प्रकार सरकारी प्राप्ति को बैंक में जमा करने में कोई विलंब नहीं हुआ।

विभाग के उत्तर दोनों ही मामलों में स्वीकार्य नहीं हैं। राष्ट्रीय परमिट शुल्क और पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार के चैक/डिमांड ड्राफ्ट विभाग के पास ही थे और अकाउंट शाखा उन्हीं का अंश है तथा यह उपरोक्त नियमों के अनुरूप सरकारी लेखा को प्रेषित किया जाना चाहिए था। एचएसआरपी के मामले में ₹ 10.46 लाख के चैक हालाँकि बैंक में जमा करा दिये गए किन्तु तथ्य यही रहा कि ये समय पर जमा न करने से विभाग ने इन चैकों पर ₹ 1.85 लाख के ब्याज की हानि वहन की।

मामला सरकार को अगस्त 2017 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

²¹ ब्याज की गणना 31 मार्च 2016 तक 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा 1 अप्रैल 2016 से 31 जुलाई 2017 तक 8.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से की गई।